बिहार विधान परिषद

206वां बजट सत्र

28 फरवरी 2024

: [सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 23

पदाधिकारियों पर कारवाई

*168 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न वार्डों में ढ़क्कन रहित नाले के निर्माण से शहरवासियों का जीना मुश्किल हो गया है जबकि ये शहर 'स्मार्ट सिटी' के रुप में चयनित है;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्षों से नाला तो सक्रिय है लेकिन ढ़क्कन निर्माण में जानबूझकर कोताही की जा रही है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहीत में खुले नाले पर ढ़क्कन का निर्माण कराना चाहती है तथा जबाबदेह पदाधिकारियों पर कारवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

वाद का रद्दीकरण

*169 Prof. Sanjay Kumar Singh (Tirhut Teacher):

Will the **Revenue & Land Reforms**be pleased to state

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के नगर प्रखंड अंतर्गत म्यूटेशन वाद संख्या 540/2021-22 एवं 541/2021-22 के जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, नगर के पत्रांक 570 दिनांक 04.03.2023 द्वारा जमाबंदी रद्द वाद संख्या 10/2022-23 का मूल अभिलेख अपर समाहर्ता, गया को भेजा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वाद का रद्दीकरण आदेश प्राप्त नहीं रहने के कारण अंचल अधिकारी, नगर द्वारा खंड 'क' में वर्णित वाद के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित वाद को रद्द करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक,नहीं तो क्यों?

पर्यटक स्थल

*170 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक-877/जि०वि० दिनांक- 10-11-2022 के द्वारा सरकार के अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को मधुबनी जिले के A श्रेणी में 03 जिसमें 1) उच्चैठ भगवती स्थान सह महाकवि कालिदास डीह (2) राजनगर प्रखंड अंतर्गत दरभंगा महाराज द्वारा निर्मित राज नगर पैलेस (3) भक्ति कालीन कवि विद्यापति जन्मस्थली विस्फी,B श्रेणी में 8 तथा C में कुल 14 स्थान को चिन्हित कर पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करते हुए विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व में भी सरकार के अवर सचिव पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2413 दिनांक- 07/11/2022 से जिला पदाधिकारी मधुबनी को पत्राचार कर पर्यटक स्थलों की सूची उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेजा गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त जगह को पर्यटक स्थल के रूप में शामिल करेगी , यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रोप-वे का निर्माण

*171 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर जिला(भभुआ) की पहाडि़यों पर अत्यंत पौराणिक मां मुंडेश्वरी मंदिर अवस्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक मां मुंडेश्वरी के

दर्शन करने आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मंदिर के चारों तरफ रमनीक दृश्य मौजद है जिससे पर्यटक आनंदित होते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार के पास मां मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचने के लिए रोप-वे का निर्माण विचारधीन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए रोप-वे का निर्माण कराना चाहती है ,यदि हाँ कबतक, नहीं तो क्यों?

वेतन भुगतान

*172 **श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 8463 पैक्स प्रबंधकों को लाभांश की राशि से वेतन भुगतान करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि पैक्स के लाभ न रहने की स्थिति में पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है एवं उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य कर्मचारियों की तरह ही पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक?

पर्यटनस्थल के रूप समुचित विकास

*173 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम धनियांवा में स्थित धनियांवा पहाड़ी जो एक पर्यटन स्थल है, वहाँ हजारों सैलानी घूमने आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस पर्यटक स्थल पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम हडि़या स्थित धनियांवा पहाड़ का पर्यटन स्थल के रूप में समुचित विकास करना चाहती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*174 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अर्न्तगत बहेड़ी प्रखण्ड के बसकटी से हेचरी होते हुए रही टोल मठाराही तक रोड बिलकुल जर्जर और टूट-फूट गया है जिससे वहाँ के निवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा यह दो गाँवों को जोड़ने वाला पथ भी है ;

(ख) यदि खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहेड़ी प्रखण्ड के बसकटी से हेचरी होते हुए रही टोल मठाराही तक सड़क बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक,नहीं तो क्यों?

पथ का निर्माण

*175 **श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर के वार्ड नम्बर 37 के द्वारिका नाथ लेन (एक्जीबिशन रोड से दलदली रोड) में नमामि गंगे योजना अन्तर्गत पाईप लाईन का कार्य किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वन के चलते पथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण उक्त लेन के वासियों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करने पर विचार

*176 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड की 9 पंचायतों में 360 स्ट्रीट लाइट में से 90 प्रतिशत खराब है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे खराब स्ट्रीट लाइटों को 348 घंटे में ठीक करने का वादा कंपनी ने किया था, जबकि कुछ ही दिनों तक स्ट्रीट लाइट ठीक ढ़ंग से काम कर पायी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने तथा इसके लिए जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

आवेदनों का अस्वीकृति

*177 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नरहट प्रखण्ड अन्तर्गत शेखपुरा पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले तीस आवेदकों का आवेदन पैक्स अध्यक्ष ने मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर दिया है और उनतीस आवेदकों के आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पैक्स की सदस्यता आवेदन की मनमाने ढंग से की गयी अस्वीकृति की जांच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बेगूसराय जिला में एयरपोर्ट निर्माण हेतु

*178 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला बिहार की औद्योगिक राजधानी है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी बेगूसराय जिला पटना के बाद दूसरे स्थान पर है;

(ख) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार की देश में बड़ी संख्या में टियर टू और टियर थ्री शहरों में विमान सेवा उपलब्ध कराने की योजना है;

(ग) क्या यह सही है कि हाल के दिनों में दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट का प्रदर्शन अपेक्षाओं से बेहतर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा एयरपोर्ट के उत्साहजनक प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए बेगूसराय जिले में एयरपोर्ट निर्माण एवं हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भ्रष्टाचार से मुक्त

***179 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दाखिल-खरिज की प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है एवं अंचलाधिकारियों द्वारा बेवजह आवेदन निरस्त कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि सुगम प्रक्रिया रहने के बावजूद दाखिल-खारिज एवं म्यूटेशन कार्य को हलका पंचायत, अंचल कार्यालय से लेकर डी.सी. एल. आर. के न्यायालय की पेचीदगियों में फंसाकर छह महीना से एक साल तक रैयतों को दौड़ाया जाता है एवं सभी सत्रों पर नाजायज-जायज पैसा खर्च हो रहा है ;

(ग) क्या यह सही है कि दाखिल खरिज प्रकरण में अनावश्यक रूप से उत्पन्न की गई जटिलताएं भ्रष्टाचार को ऊपर तक ले जा रही हैं;

(घ) क्या यह सही है कि इसके कारण राज्य की सुव्यवस्थित नौकरशाही व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहा है एवं सामान्य नागरिकों में यह धारणा फैल रही है कि अधिकारीगण अकर्मण्य,लापरवाह एवं भ्रष्ट हो गए हैं;

(ड़) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के दाखिल-खारिज प्रकरण में व्याप्त संगति को दूर कर रैयतों को सुगम एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

धान बेचने पर मजबूर

***180 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग के चयनित क्रय केंद्र पर पूरे प्रदेश में एमएसपी पर धान खरीद 15 फरवरी तक होनी है, अभी तक पूरे प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत धान की खरीद हुई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि तय अनुमान के मुताबिक कम धान खरीद की वजह से बिहार के किसान बाहर के राज्यों में खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर हैं, नहीं तो क्यों?

आदेश का अनुपालन

*181 **श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा प्रखंड के राष्ट्रीय उच्च पथ 28 से बायां नदी तक अंचल अधिकारी, बछवाड़ा के पत्रांक सं०- 1143/2017 तथा 167/2018 से चौहद्दीदार रैयत जमीन के मालिकों को अपनी जमीन का उपयोग नहीं करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि भूमि सुधार विभाग के पत्रांक सं०- 285/2021 के आदेशानुसार आम रैयतों के लिए बीस फीट का रास्ता सैरात भूमि में देने की अनुशंसा की गई थी;

(ग) क्या यह सही है भूमि सुधार विभाग के उक्त आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना संभव है या नहीं, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

गाइडलाइन कब तक

*182 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य भर में ऐसे 14 शहर हैं जहाँ टोपो लैंड है और यह भूमि असर्वेक्षित है, उक्त जमीन की खरीद बिक्री तो हो रही है लेकिन नक्शा पास करने और निर्माण पर रोक लगी है तथा इस पर बैंक भी लोन नहीं दे रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि निर्माण पर लगी रोक के कारण विभिन्न शहरों में 10 हजार करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट फँसे हुए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 13 महीने से फँसे इस मामले में नई नियमावली एवं गाइडलाइन जारी करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक?

मुआवजा की राशि

*183 **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा शेरपुर सिक्स लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 21.03.2020 का जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में नगर पंचायत दिघवारा के मीरपुर भुआल मौजा की किसी भी भूमि को कृषि श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा गया था एवं इसी आधार पर वहां की भूमि का न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य निर्धारित है, परन्तु दिनांक- 25.12.2020 को प्रकाशित गजट में मीरपुर भुआल मौजा की भूमि को कृषि भूमि बता कर मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय से आम जनता में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है एवं भूमि अधिग्रहण का कार्य बाधित हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के निर्णयानुसार भूमि मालिकों को आवासीय मुख्य सड़क श्रेणी के अंतर्गत उचित मुआवजा राशि दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राशि का भुगतान

*184 **श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा)**:

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती कंचन सिन्हा, ग्राम-अकबरपुर, प्रखंड-अस्थावाँ, जिला-नालन्दा के पुत्र आदित्य रंजन की मृत्यु दिनांक-16.05.2022 को नालंदा जिला के पिरबहोर थाना अंतर्गत गंगा नदी में डूबने से हुई थी, जिसकी मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घटना से संबंधित मुआवजा (आपदा प्रबंधन के तहत) हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को सारे कागजातों के साथ आवेदन दिया गया था, लेकिन इस पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त घटना से संबंधित मृतक के परिजन को मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र कराना चाहती है?

त्रुटियों के सुधार

***185** **श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर)ः**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि कैमूर रोहतास जिला अंतर्गत राजस्व पंजी-2 कम्प्यूटरीकृत किया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि रजिस्टर पंजी-2 का कम्प्यूटर पर संधारण सही नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे-नाम,खाता,प्लॉट,रकबा, में से किन्हीं-किन्हीं में त्रुटियाँ पायी जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कम्प्यूटरीकृत पंजी-2 में हो रही त्रुटियों के सुधार हेतु कोई कारवाई करना रखती है, यदि हाँ तो कब तक?

सात निश्चय योजनांतर्गत निर्माण कार्य

***186** **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण)ः**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है नल-जल योजना माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि आकाशवाणी रोड, खाजपुरा (वार्ड नं०-2) के के. एन. तिवारी, स्थानीय नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा जलापूर्ति पाईप लाईन विस्तार एवं सड़क नाली के निर्माण हेतु आवेदन पत्र (पत्रांक-158/ आ०का०,दिनांक- 09.08.2022 एवं पत्रांक-66/आ०का०, दिनांक- 26.11.2021) के माध्यम से सचिव, नगर विकास एवं आवास /निगमायुक्त /महापौर /मुख्य अभियंता, नगर निगम को प्रेषित किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि जनहित कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि आवंटन हेतु कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा प्रमंडल के द्वारा पत्रांक -1396, दिनांक-10.08.2021 के माध्यम से नगर मुख्य अभियंता को प्रस्ताव भेजा गया, जो लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य सात निश्चय योजना के अंतर्गत कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नियमित साफ-सफाई

***187** **श्री आफाक अहमद (सारण शिक्षक)ः**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि प. चंपारण जिलान्तर्गत बेतिया इमली चौक के समीप कूड़ा कचरा का अंबार लगा रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थान की नियमित साफ़-सफाई कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

दाखिल खारिज कबतक

*188 **श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला के रोहतास अंचल कार्यालय में परिमार्जन हेतु दिनांक 30.05.2023 को ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया गया परिमार्जन ऑनलाईन नं.-20233202013440 है;

(ख) क्या यह सही है कि सिमवोसिस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. की जमीन के रकबा में सुधार हेतु खाता सं.-41,44,45,54,62,66,13,16,15,20,25,26,37 एवं 39 में रकबा 55 एकड़ 56 डिसमिल जमीन है;

(ग) क्या यह सही है कि कर्मचारी के द्वारा काटी गई रसीद में सभी खाता नं. का उल्लेख है परन्तु रकबा 53.82 एकड़ ही दर्ज है ऑनलाईन रसीद में खाता नं. सिर्फ 41 दर्शाया गया तथा रकबा 53.82 एकड़ ही दिख रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त रकबा एवं खाता का परिमार्जन कर सुधार करते हुए दाखिल खारिज करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भूमि आवंटित

*189 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी की ग्राम पंचायत राज सिसई में विगत तीन वर्षों से कटाव पीडि़त परिवार भूमि के अभाव में अपने पुनर्वास से वंचित हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कटाव

पीडि़त परिवार के नाम से भूमि आवंटित कर उन्हें पुनर्वासित करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक?

प्रशासनिक कार्रवाई

*190 **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा)ः**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सौरभ कुमार, पिता- स्वः सुनील प्रसाद, ग्राम+पो०- बादी, थाना+अंचल- कतरीसराय, जिला-नालन्दा के घर के बगल में पी.सी.सी. ढलाई रोड है जो अतिक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह अतिक्रमित कर लिया गया है और आवागमन ठप है;

(ख) क्या यह सही है कि पी.सी.सी. ढलाई रोड की चौड़ाई 5 फीट है, उस पूरे रोड को ईंट से दीवार लगाकर पूरी तरह से रोड को ही बंद कर दिया गया है जिसकी शिकायत अंचलाधिकारी के पत्रांक-399, दिनांकः- 27.06.2023, अनुमण्डल पदाधिकारी, ज्ञापांक-2533, दिनांकः- 30.09.2023 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को लिखित कार्रवाई हेतु की गई लेकिन कोई कार्रवाई अबतक नहीं हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित व्यक्ति को संजय कुमार, अजय कुमार एवं रौशन कुमार द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है जिसके कारण लगभग दो वर्षों से ये लोग घर नहीं जा पा रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पी.सी.सी. ढलाई रोड को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए खंड 'ग' में वार्णित व्यक्तियों पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई अविलम्ब करना चाहती है ताकि जानमाल की रक्षा एवं पथ अतिक्रमण मुक्त हो सके , यदि हाँ तो कब तक?